रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 235] नई दिल्ली, बुधवार, मई 15, 1985/वैशाख 25, 1907
No. 235] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 15, 1985/VAISAKHA 25, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 15 मई, 1985

का. आ. 391(अ):—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

(1) इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) नवां संशोधन आदेश, 1985 कहा जाए ।

(2) निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की वर्तमान अनुसूची के लिए कालम 4 में उक्त संख्या 16 के सामने खुले सामान्य लाइसेंस-3 की अनुसूची-3 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"निर्यात न्यूनतम निर्यात मूल्य 7,500/- रुपये प्रति मी. टन (जहाज पर निशुल्क मूल्य) शर्त के अधीन अनुमेय है ।

[सं. ई (सी) ओ, 1977/ए एम(304)/फाइल सं. 40(20)/85-ई-2]

श्रीइन्द्र त्रिपाठी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

पाद टिप्पणी :—भारत के राजपत्र 1977 (असाधारण) भाग-2, खण्ड-3, उप-खण्ड (2) पृष्ठ 1271 में अधिसूचना सं. एस. ओ. सं. 254(ई), दिनांक 24-3-1977 द्वारा प्रकाशित समय-समय पर यथा संशोधित मूल्य आदेश अर्थात निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977.

सं. ई (सी) ओ, 1977/ए एम (303), दिनांक 14-5-1985 भाग-2, खण्ड-3, उप-खण्ड (2) द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 15th May, 1985

S.O. 391(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Ninth Amendment Order, 1985.

2. In the Exports (Control) Order, 1977, in Schedule III, in OGL-3 against said number 16 in column 4 for the existing entry the following shall be substituted, namely :—

"Export allowed subject to minimum export price of Rs, 7,500|- per MT (f.o.b.)."

[No. E(C)O, 1977|AM(304)|File No. 40(20)|85-EII]
S. I. TRIPATHI, Chief Controller of Imports & Exports.

Footnote:—Principal Order i.e. Exports (Control) Order, 1977, published vide Notification S.O. No. 245(E) dated 24-3-1977, published in Gazette of India, 1977, (extraordinary) Part II, Section 3, Sub-Section (ii) Page 127-1 as amended from time to time.

The last Amendment made vide No. E(C)O, 1977|AM(303) dated 14-5-1985 in Part II, Section 3, Sub-section (ii).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985